


विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 1183
फसल क्षति की जानकारी

वर्ष	विवरण	कृषक संख्या	स्वीकृत राशि
2019-20	अतिवृष्टि	264770	6,53,90,47,890
2020-21	ओला/अतिवृष्टि/ बाढ	2155	2,29,41,612
	कीट प्रकोप	61680	65,83,76,349
2021-22	अतिवृष्टि, आंधी, तूफान /अन्य	160	23,96,776
कुल योग		328765	7,22,27,62,627


उप राहत आयुक्त
मध्यप्रदेश



कार्यालय कलेक्टर, जिला-तरागोन म.प्र.

e-mail-dmkhargone@mp.nic.in,
osvaxbua@mp.gov.in

PH (07282) 232363 (6)

(07282) 233601 (6)

FAX (07282) 231668

मसौदा, दिनांक 22/02/2022

कमल/1512/सहा/2022,
पति,

राज्य अटॉर्नी,
राज्य भवन, 220 अरेरा हिल्स,
भोपाल

विषय :- विधान सभा अंतरायित प्रश्न क्रमांक 1103 पान, श्री रवि शंकरजी जी की 1 मुआवजा राशि का मुआवजा का अंशोचित उदात्त भेजने बाबत।

सन्दर्भ :- आधक ई-मेल पत्र क्रमांक - दिनांक 16.02.2022

- 00 -

उरोक्त विषयवस्तुगत अर्पित पत्र से पारी गई विधान सभा अंतरायित प्रश्न क्रमांक 1103 की जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है :-

अ.	प्रश्न	उत्तर																								
(क)	खरगोन जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक फसलों के नुकसान होने से किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई थी ?	<p>खरगोन जिले में वर्ष 2019-20 से प्रश्न दिनांक तक फसलों का नुकसान होने से किसानों को फसलों की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की गई स्थिति निम्नानुसार है :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>क्षयक राशियाँ</th> <th>स्वीकृत राशि</th> <th>वितरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-20</td> <td>264776</td> <td>6539087890</td> <td>अतिवृत्ति</td> </tr> <tr> <td>2020-21</td> <td>2155</td> <td>22941612</td> <td>अतिवृत्ति/बाँट</td> </tr> <tr> <td></td> <td>61680</td> <td>658326349</td> <td>बाँट प्रयोग</td> </tr> <tr> <td>2021-22</td> <td>160</td> <td>2396776</td> <td>अतिवृत्ति/अर्धी</td> </tr> <tr> <td>योग :-</td> <td>328765</td> <td>7227762627</td> <td>मुआवजा/अर्धी</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	क्षयक राशियाँ	स्वीकृत राशि	वितरण	2019-20	264776	6539087890	अतिवृत्ति	2020-21	2155	22941612	अतिवृत्ति/बाँट		61680	658326349	बाँट प्रयोग	2021-22	160	2396776	अतिवृत्ति/अर्धी	योग :-	328765	7227762627	मुआवजा/अर्धी
वर्ष	क्षयक राशियाँ	स्वीकृत राशि	वितरण																							
2019-20	264776	6539087890	अतिवृत्ति																							
2020-21	2155	22941612	अतिवृत्ति/बाँट																							
	61680	658326349	बाँट प्रयोग																							
2021-22	160	2396776	अतिवृत्ति/अर्धी																							
योग :-	328765	7227762627	मुआवजा/अर्धी																							

(ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिन किसानों को स्वीकृत से कम राशि अभी तक प्राप्त हुई बाकी बची राशि कब तक किसानों को प्राप्त हो जावेगी ? तहसीलवार जानकारी देते हुए अभी तक नहीं मिलने का क्या कारण है ?

प्रश्नांश (क) में तर्का अनुसार 2019-20 में कुल स्वीकृत में से 25 प्रतिशत राशि वितरण से मुफक शेष नहीं है। 75 प्रतिशत राशि शासन से आवंटन प्राप्त होने पर वितरण की जा सकेगी। वर्ष 2020-21 में कीट प्रकोप की कुल स्वीकृत राशि में से 66 प्रतिशत राशि वितरण से मुफक शेष नहीं है। 34 प्रतिशत राशि शासन से आवंटन प्राप्त होने पर वितरण की जा सकेगी।

पूरक जानकारी :- निरंक है।
// अपर कलेक्टर महो.के अनुमोदन से//

शंभुजी कलेक्टर,
जिला-तरागोन म.प्र.